

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / ३९३३ / 2024


दिनांक : 26.11.2024

श्रीमती रंजना-II (RJ00912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर को दिनांक 09.12.2024 से 18.12.2024 तक 10 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.12.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती रंजना की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/83/2015/ 9614

दिनांक 26.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 6925 दिनांक 24.10.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रंजना-II (RJ00912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।

  
सहायक रजिस्ट्रार